न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिकी 42/2022
पंजीयन दिनांक 22.03.2022

(1). नंदादास पिता लक्ष्मणदास जाति बैरागी निवासी खोडिप, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(2). सुंदरी पत्नी नंदरामदास जाति बैरागी निवासी खोडिप, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्गण

बनाम

(1). कमलेश पिता युधिष्ठर जाति कुमावत निवासी खोडिप तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(2). सूरजमल पिता युधिष्ठर जाति कुमावत निवासी खोडिप तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(3). केसरबाई पुत्री लक्ष्मणदास जाति बैरागी निवासी खोडिप तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(4). चंचल पत्नि पूरणदास जाति बैरागी निवासी खोडिप तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(5). चांदीबाई पत्नि रामचन्द्र दास जाति बैरागी निवासी खोडिप तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(6). नर्बदा बाई पत्नि गोतमलाल जाति बैरागी निवासी खोडिप तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(7). पूरणदास पिता भगवानदास जाति बैरागी निवासी खोडिप तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(8). अमृतदास पिता भगवानदास जाति बैरागी निवासी खोडिप तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(9). उप पंजीयक भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(10). सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 82/2021 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.01.2022

उपस्थित वक्त बहस-(1). चन्दनमल जणवा-अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2). छोगालाल जाट- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
(3). रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 3 से 8-बावजूद सूचना अनुपस्थित
(4). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 9 व 10

निर्णय

दिनांक 27.10.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 ने वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा खोडिप तहसील भदेसर की खाता सख्या 117 मे दर्ज आराजी संख्या 190, 191 कुल किता 2 कुल रकबा 0.070 हैक्टेयर स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि आराजीयात भगवानदास पिता देवीदास वैष्णव निवासी खोडिप द्वारा वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 के पिता युधिष्टर पिता गौतम कुमावत को दिनांक 14.04.1983 को 16,000 रूपये मे विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तथा सम्पूर्ण प्रतिफल राशि 16,000 रूपये नगद प्राप्त कर लिये थे। विवादित कृषि आराजीयात के पडौस वादपत्र मे अंकित किये गए। खरीद दिनांक से वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 के पिता युधिष्टर कुमावत वादग्रस्त कृषि आराजीयात पर काबिज होकर मकान का निर्माण कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। युधिष्टर की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 उक्त वर्णित विवादित खरीदशुदा कृषि आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण विक्रेता भगवानदास के वारिसान है। प्रतिवादीगण ने भगवानदास के देहान्त के बाद वादग्रस्त कृषि आराजीयात भगवानदास के नाम दर्ज रेकॉर्ड होने से राजस्व कर्मचारियों से मिलिभगत करके वादग्रस्त कृषि आराजीयात को गलत तरमीम कर अपने नाम पर नामान्तरण खुलवा लिया। जबकि वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 वक्त खरीद से वादग्रस्त कृषि आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त कृषि आराजीयात वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 के नाम पर विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने इनकार किया। जिससे रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 वादीगण वादग्रस्त कृषि आराजीयात की जरिये बिकाव दिनांक 14.04.1983 के आधार पर घोषणा कराने व उसी अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 21.06.2021 को प्रतिवादीगण की तामील नहीं होने से प्रतिवादीगण को आगामी पेशी दिनांक 23.08.

राजस्व अपील अधिकारी
बिलाडा (राज.)

2021 के सम्मन नोटिस जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित किये गए। उसी के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 30.12.2021 को तामील होना मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 वादीगण की साक्ष्य ली जाकर रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्शित किया जाकर रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए निर्णय व डिक्री किया गया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 व 7 जो पति-पत्नी है, ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की है ।

अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7 की ओर से इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 वादीगण सम्मन नोटिस की पालना मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्टगण संख्या 3 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 व 10 जरिये राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7 ने इस न्यायालय मे म्यांद बाहर अपील प्रस्तुत की है। म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्यांद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया व अपील को अंदर म्याद शुमार किये जाने का निवेदन किया।

न्यायहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 वादीगण ने आराजी संख्या 190 व 191 के संबंध मे दिनांक 14.04.1983 को रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 वादीगण के पिता युधिष्टर द्वारा क्रय करना बताते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7 की तामील नहीं हुई। बिना तामील के एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर एकपक्षीय साक्ष्य ली जाकर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की है। तथाकथित लिखापढ़ी विक्रय पत्र नहीं होकर विक्रय इकरार है व विक्रय इकरार की

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

मीना का वादपत्र सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का था। अपंजीकृत व अनस्टाम्प सहमति पत्र अनुसार दावा नहीं है। विक्रय पत्र मे आराजी सख्या का अंकन नहीं है। आराजी संख्या 190 व 191 के साबिक आराजी संख्या 62/2 मीन है। जबकि पंजीकृत दस्तावेज मे आराजी संख्या 61/1 अंकित है। विक्रय पत्र सन् 1983 का है जबकि दावा सन् 2021 मे प्रस्तुत हुआ है। वादपत्र मे आराजी संख्या 190 व 191 के संबंध मे दाद चाही गई है जबकि निर्णय व डिक्री मे आराजी सख्या 190 व 191 के साथ आराजी संख्या 59 को भी शामिल किया गया है। दिनांक 27.01.2022 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने संशोधित निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे भी अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 व 7 की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2020 पार्ट-1 पेज 372, आर.आर.टी. 2009 पार्ट-1 पेज 638, आर.आर.टी. 2020 पार्ट-2 पेज 756, आर.आर.टी. 2021 पार्ट-2 पेज 1035 प्रस्तुत किये व अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 व 7 स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 वादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 वादीगण ने भगवानदास पिता देवीदास निवासी खोडिप द्वारा साबिक आराजी संख्या 62/1 मे से 7 बिस्वा भूमि जो भगवानदास ने जरिये पंजीकृत बहनामा गुल्फान पिता अब्दुल गनी निवासी निम्बाहेड़ा से दिनांक 08.12.1980 से क्रय की है, जो बाड़े के रूप मे रही है। उक्त खरीदशुदा आराजीयात को भगवानदास ने जरिये बहनामा तादादी 16,000 रूपये मे एक बाड़ा दिनांक 14.04.1983 को रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 वादीगण के पिता युधिष्टर को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया व प्रतिफल राशि प्राप्त की एवं बहनामा लिखकर रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 वादीगण के पिता को कब्जा सुपुर्द किया। खरीद दिनांक 14.04.1983 से रेस्पोडेन्ट्गण सख्या 1 व 2 वादीगण के पिता ने उक्त बाड़े पर जिसके पडौस पूर्व मे शंकरलाल गाडीला मिन्नाणा, पश्चिम मे सरकारी रास्ता व रोड़ व उत्तर मे विक्रेता भगवानदास का बाड़ा, दक्षिण मे खुद का कुआं व बाड़ा स्थित है। उक्त पडौसान के मध्य का बाड़ा विक्रेता भगवानदास ने क्रेता रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 वादीगण के पिता युधिष्टर को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया । परन्तु उक्त खरीदशुदा बाड़ा रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 वादीगण के पिता के नाम दर्ज नहीं होने व बाद मे विक्रेता भगवानदास का स्वर्गवास हो जाने से उक्त कृषि आराजीयात जरिये विरासत अपीलांट्गण व रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 3 से 8 प्रतिवादीगण के नाम सहखातेदारी मे दर्ज हो गई। परन्तु उक्त कृषि आराजीयात जो कि बाड़े के रूप मे खरीद दिनांक से रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादीगण के पिता व उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण के उपयोग उपभोग मे चली आ रही है जिस पर रेस्पोडेन्टगण सख्या 1 व 2 वादीगण सपरिवार आवासीय मकान का निर्माण कर निवास करते चले आ रहे है, जिससे वादीगण विकय पत्र मे अंकित पडौसान के मध्य की आराजी संख्या 190, 191 रकबा 0.070 हैक्टेयर अपनी खातेदारी मे दर्ज कराने के अधिकारी होने से आराजी संख्या 190, 191 का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गए। नियत दिनांक को सम्मन नोटिस तामील होकर प्राप्त नहीं होने से रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 वादीगण ने अपीलांटगण व अन्य रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस दिनांक 21.06.2021 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.08.2021 के जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित किये जिसका असल लिफाफा व डाक रसीद दिनांक 30.12.2021 तक अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे लोटकर प्राप्त नहीं हुए जिससे उक्त सम्मन नोटिस प्रतिवादीगण को प्राप्त होना मानते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7 व अन्य रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की तामील होना मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत गवाह के बयान लिए जाकर पत्रावली मे प्रस्तुत दस्वावेजों को प्रदर्शित किया जाकर रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादी संख्या 8 का पुत्र गणेशदास जिसने उक्त विकय की अपने दादा भगवानदास के द्वारा विकय करने का सहमति पत्र निष्पादित करा नोटेरी से तस्दीक करा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 8 जो विक्रेता भगवानदास का पुत्र है, ने वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 के पक्ष मे बयान के रूप मे शपथ-पत्र पी0डब्ल्यु0 3 प्रस्तुत कर बयान दिए है जिससे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने विकय पत्र मे अंकित पडौसान के मध्य की कृषि आराजीयात जिसके साबिक आराजी संख्या 62/1 रहे है जिसके नवीन आराजी संख्या 190 , 191 कुल रकबा 0.070 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है व उक्त खाते मे सम्मिलित आराजी संख्या 59 को प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 , 4, 5 व 7 के नाम दर्ज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है , जो विधि सम्मत होने से अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7 जो कि पति-पत्नी है, की ओर से प्रस्तुत अपील गुणावगुण के आधार पर स्वीकार योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 9 व 10 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को दिनांक 14.04.1983 के बहनामे के अनुसार होना बताते हुए व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य सबूत व सहमति पत्र के अनुसार प्रमाणित होना मानते हुए अपीलांट्गण प्रतिवादी संख्या 1 व 7 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने स्वर्गीय भगवानदास पिता देवीदास के द्वारा गुल्फान पिता अब्दुल गनी निवासी निम्बाहेड़ा से मौजा खोड़िप की आराजी संख्या 62/1 कृषि भूमि जरिये पंजीकृत बहनामा दिनांक 08.12.1980 को क्रय की, तभी से उक्त कृषि आराजीयात भगवानदास पिता देवीदास के नाम साबिक आराजी नम्बर 62/1 मीन रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा के रूप मे दर्ज रेकॉर्ड रही है उसमे से 7 बिस्वा भूमि खातेदार भगवानदास ने बाड़े के रूप मे रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 वादीगण के पिता युधिष्टर को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया। उक्त पडौसान के मध्य मे अवस्थित आराजीयात जो साबिक आराजी संख्या 62/1 मीन का भाग रहा है, रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 वादीगण के पिता युधिष्टर को दिनांक 14.04.1983 को बाड़े के रूप मे विक्रय की व उक्त बाड़े के उत्तर मे भगवानदास विक्रेता स्वयं की कृषि भूमि शेष रही। उक्त विक्रय पत्र मे आराजी संख्या का अंकन नहीं है परन्तु पडौस अंकित है। जहाँ आराजी संख्या अंकित नहीं है वहा पडौसान के आधार पर भी विक्रय-पत्र निष्पादित किया जा सकता है । उक्त विक्रय-पत्र मे विक्रयशुदा 7 बिस्वा भूमि के पडौस अंकित किये गए है फिर भी उक्त सम्पूर्ण कृषि आराजीयात विक्रेता भगवानदास के नाम ही दर्ज रेकॉर्ड चली आ रही थी व भगवानदास का स्वर्गवास हो जाने से अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7 व रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 3 से 8 प्रतिवादीगण जो भगवानदास के वारिस है जिनके नाम सम्पूर्ण आराजीयात जरिये विरासतीय नामान्तरण से दर्ज हो जाने से उक्त कृषि आराजीयात जो कि बाड़े के रूप मे होकर आबादी से लगी हुई है एवं वर्तमान मे रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 वादीगण का आवासीय मकान 40 वर्षो से बना हुआ है जिसकी घोषणा का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत हुआ। उक्त वादपत्र मे सम्मन नोटिस जरिये पंजीकृत डाक अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7 एवं रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 3 से 8 प्रतिवादीगण को भेजे गए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की आदेशिका मे दिनांक 23.08.2021 को सम्मन भिजवाये गए परन्तु उससे पूर्व की आदेशिका मे सम्मन पंजीकृत डाक से भेजे जाने का कोई आदेश अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

द्वारा पारित किया जाना अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका मे नहीं पाया जाता है। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना प्रोपर तामील के दिनांक 30.12.2021 को अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 व 7 एवं अन्य रेस्पोडेन्टगण संख्या 3 से 8 प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए एकपक्षीय निर्णय व डिकी पारित की है जिससे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण प्रतिवादी सख्या 1 व 7 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 82/2021 निर्णय व डिकी दिनांक 13.01.2022 व संशोधित निर्णय व डिकी दिनांक 27.01.2022 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 व 7 व अन्य प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए तनकीवार, अजसरे नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 02.12.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)